रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2011/फाल्गुन 20, 1932

No. 434] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2011/PHALGUNA 20, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

का.आ. 505(अ).—कोलकाता में माननीय उच्च न्यायालय डब्ल्यू. पी. संख्या 1276 के 2010 राष्ट्रीय संघ भारतीय समुद्र यात्री बनाम उपराज्यपाल और अन्यों द्वारा पारित निर्णय में पठित वाणिज्य जलयान अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एम. वी. नानकोरे, नौवहन सेवा स्वाराज दीप के क्रू सदस्यों और प्रमुख निदेशक, अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर अधिकरण के मध्य विक्ट अलिंग भत्ते के प्राप्त न होने के विवाद के संदर्भ में एक अधिकरण का गठन करती है । अधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों को गठित किया जाएगा :—

(i) नौवहन महानिदेशक, मुम्बई

(ii) नौवहन उप महानिदेशक (जनसमूह) शिपिंग महानिदेशालय का कार्यालय, मुम्बई ।

2. अधिकरण संदर्भ शीघ्र निपटारा और जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए निष्कर्ष पर व्यावहारिक किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार को अपने अधिनिर्णय प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. सी-18018/1/2011-एमए]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2011

S.O. 505(E).—In exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read in accordance with the Judgement passed by Hon'ble High Court at Calcutta in W.P. No. 1276 of 2010 National Union Seafarers of India V/s. Lt. Governor & others, the Central Government hereby constitutes a Tribunal for referring the dispute of non-receipt of victualling allowances between Crew Members of M.V. Nancowry, Swaraj Deep and Principal Director of Shipping Services, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair to the tribunal. The tribunal will consist of the following members :—

(i) Director General of Shipping, Mumbai

(ii) Deputy Director General of Shipping (Crew) O/o the Directorate General of Shipping, Mumbai.

2. The tribunal shall dispose of the reference expeditiously and shall, as soon as practicable on the conclusion of the proceedings, submit its award to the Central Government.

[F. No. C-18018/1/2011-MA]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.